उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-20/2017/168/अड़तीस-9-17-05(बजट)/16
लखनऊ : दिनांक-01 मई, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन</u>

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह हेतु स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-16/2017/142/अड़तीस-9-17-05(बजट)/17, दिनांक-24 अप्रैल, 2017 के साथ संलग्न विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-60 पर श्री सन्तोष यादव 'सनी' मा0 सदस्य विधान परिषद का नोडल जनपद त्रुटिवश गोरखपुर अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त हुई त्रुटि को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक-24 अप्रैल, 2017 के साथ संलग्न विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-60 को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र0सं0	**विधान परिषद सदस्य का नाम**	**निर्वाचन क्षेत्र का नाम**	**नोडल जनपद का नाम**	**अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)**
60	श्री सन्तोष यादव 'सनी'	बस्ती-सिद्धार्थनगर स्था0 प्रा0	सन्तकबीर नगर	62.50

3- शासनादेश संख्या-16/2017/142/अड़तीस-9-17-05(बजट)/17, दिनांक-24 अप्रैल, 2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-24 अप्रैल, 2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2017/168 (1) /अड्तीस-9-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।

5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।

8- निजी सचिव, मा0 सभापित, विधान परिषद, उ0प्र0।

9- निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

11- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

12- जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं सन्तकबीर नगर, उ0प्र0।

13- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर एवं सन्तकबीर नगर, उ0प्र0।

14- कोषाधिकारी, गोरखपुर व सन्तकबीर नगर, उ0प्र0।

15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।

16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।